न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1928–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–04–2014 पारित द्वारा तहसीलदार ग्वालियर प्रकरण कमांक 19/2013–14/अ–12

.....

डॉ.कर्नल रविन्द्र सिंह भदौरिया
पुत्र स्व.श्री डालसिंह भदौरिया
निवासी विजय नगर आमखो लश्कर
ग्वालियर म0प्र0

.....**आवेदक**

विरूद्ध

राजकुमार कुकरेजा पुत्र श्री एल.सी.कुकरेजा
निवासी डी.14 न्यू गोबिन्दपुरी सिटीसेंटर
ग्वालियर

.....**अनावेदक**

– – – – –

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम0एल0बंसल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २५।९।१४ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम महलगॉव स्थित सर्वे नम्बर 1485 रकबा 0.146 हेक्टैयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 19/2013–14/अ–12 दर्ज दिनांक

25–4–2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की जाकर वह उसका भूमिस्वामी है, इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा उसे कोई कोई सूचना दिये बिना उसके पीठ पीछे सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि सीमांकन प्रकरण में उसे पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, इस कारण उसे सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसा सीमांकन शून्यवत् है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त सीमांकन आदेश संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत बने नियमों के आज्ञापक नियम 7 के उल्लघंन में पारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क के समर्थन में 1986 आरएन 101, 1987 आरएन 391, 1992 आरएन 275 एवं 1993 आरएन 363 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से आधार उठाया गया है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् उभयपक्ष को सूचना दी जाकर एवं प्रश्नाधीन भूमि के स्थल पर सूचना पत्र चस्पा कर दिनांक 5–3–14 को सीमांकन किया गया है, जो कि विधिवत् कार्यवाही है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 25–4–14 को ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की जा सके, क्योंकि दिनांक 25–4–2014 को तहसीलदार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट को अभिलेख पर लिया जाकर कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह नही बतलाया जा सका है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन करने में क्या अवैधानिकता की गई है, क्योंकि स्वयं आवेदक द्वारा यह मान्य किया गया है कि अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कब्जा है और बाउण्ड्रीवाल बनी है । इस

प्रकार इस प्रकरण में वास्तव में स्वत्व का प्रश्न निहित है जिसका निराकरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है और स्वत्व का विवाद होने के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती है क्योंकि सीमांकन की कार्यवाही राजस्व अभिलेखों में हुई प्रविष्टि के आधार पर की जाती है । यदि तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन विधिसंगत है, तब संहिता की धारा 42 के अन्तर्गत आवेदक को सूचना नहीं दिया जाना महत्वहीन है क्योंकि आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने से अथवा उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन नही किये जाने से आवेदक के विरूद्ध तथ्यतः अन्याय होना प्रमाणित नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर